# फा.सं.279/विविध/33/2014-आईटीजे भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

सेवा में, सभी आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त

विषयः आयकर आयुक्त (न्यायिक) के कार्य के आबंटन के संबंध में-

#### महोदय/महोदया,

आयकर विभाग की संवर्ग पुनःसंरचना और चार(4) बड़े शहरों अर्थात् इलाहाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरू और पूणे में आयकर आयुक्त (न्यायिक) के पदों के सृजन जोिक चार महानगरों अर्थात मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नै में विद्यमान चार पदों सीआईटी (जे) के अलावा हैं, के परिणामस्वरूप सीआईटी (जे) के कार्य क्षेत्राधिकार और भूमिका को निर्दिष्ट करना आवश्यक और समीचीन बन गया है। तदनुसार और फाइल सं. 277/109/2001-आईटी के वर्तमान निदेश संख्या 4, दिनांक 07.05.2002 के अधिक्रमण में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस निदेश के तहत तत्काल प्रभाव से सीआईटी (जे) के कार्य अधिकारिता को निम्नलिखत परिभाषित किया है:

### (क) <u>आयकर आयुक्त (न्यायिक) के कार्य की अधिकारिता</u>

सीआईटी (जे) सभी मामलों के लिए नोडल कार्यालय होगा, जिसमें आधिकारिक उच्च न्यायालय व साथ ही अन्य उच्च न्यायालयों के प्रतिरूप के साथ सह-समन्वय करना शामिल होगा लेकिन संबंधित भाग (ग) में वर्णित के अनुसार सीमित नहीं होगा। वे यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार होंगे कि आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या संबंधित क्षेत्र के अधिकार-क्षेत्र के भीतर विभागीय मत एकरूपता और संगतरूप से लागू हो।

### (ख) <u>संरचनाः</u>

नीचे कॉलम (1) में वर्णित स्थानों पर सीआईटी(जे) निम्न वर्णित कॉलम (2) में आयकर प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आने वाले सभी न्यायिक मामलों के प्रभारी होंगे:

स्थान	आयकर प्राधिकारी
(1)	(2)
अहमदाबाद	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, गुजरात
बेंगलुरू	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, कर्नाटक एवं गोवा
चेन्नै	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, तमिलनाडु

दिल्ली	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली
हैदराबाद	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य
कोलकाता	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम
मुंबई	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई
पूणे	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूणे

इन क्षेत्रों के संबंध में उच्च न्यायालय प्रकोष्ठ निदेश संख्या 1957 दिनांक 22.01.1998 के आंशिक आशोधन में उस क्षेत्र के सीआईटी (जे) के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगी।

### (ग) कार्य डोमेनः

- i) उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने का प्रशासनिक निर्णय संबंधित सीआईटी/पीसीआईटी/सीसीआईटी में निहित होगा। सीआईटी (जे) एनजेआरएस और अन्य उपलब्ध डाटाबेस के आधार पर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी विशेष मुद्दे पर विभागीय मत एकरूप ही है। विभिन्न क्षेत्रों के बीच मुद्दे पर किसी विरोध के मामले में, मामले को बोर्ड को भेजा जाएगा।
- ii) सीआईटी (जे) उपलब्ध डाटाबैंक के आधार पर उच्च न्यायालयों के समक्ष अपीलों की बचिंग के लिए मामलों को ज्ञात करने के लिए भी जिम्मेवार होगा।
- iii) सीआईटी (जे) तिमाही आधार पर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त में क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिकारिक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों के आधार पर निर्धारित न्यायिक मत के प्रचार-प्रसार के लिए जिम्मेवार होगा। सीआईटी (जे) इसके लिए ऐसे मामलों में सूचना प्राप्त करने के लिए, जहां विभाग ने न्यायालय का निर्णय स्वीकार किया है, प्रधान महानिदेशक आयकर (एल एंड आर) के साथ भी समन्वय करेगा। प्रभार और अन्य सीआईटी (जे) और सीसीआईटी प्रभारों के अधिकारियों के बीच प्रचार-प्रसार के लिए ऐसी ही प्रक्रिया अभियोजन आदेशों के लिए भी की जा सकती है।
- iv) संबंधित प्रधान सीएसआईटी /सीएसआईटी से प्राप्त सुरक्षा जांच रिपोर्टों से संबंधित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सीआईटी (जे) की होती है। जैसे ही पीसीआईटी / सीआईटी फिजिकल फाइल पर हस्ताक्षर कर देते हैं, उसके तुरंत बाद सीएसआर / अपील फोल्डर की साफ्ट कॉपी सीआईटी (जे) के पास इलेक्ट्रानिक तरीके से भेज दी जाएगी। सीआईटी (जे) के पास फिजिकल कॉपी /फाइल भी भेजी जाएगी लेकिन सीएसआर /अपीली प्रस्ताव को फिजिकल रूप में भेजे जाने की यह व्यवस्था तब से बंद हो गई है, जब से एनजेआरएस और आईटीबीए पूरी तरह काम करने लगे हैं। सीएसआर को प्राप्त करने के बाद सीआईटी (जे) इसकी जांच-पड़ताल करेंगे और अन्य बातों के अलावा यह पता लगाएंगे कि क्या प्रस्तावित अपील वर्तमान निर्देशों के अनुसार है कि नहीं और क्या अपील के आधार यथोचित रूप से तैयार किए गए हैं और क्या ये विभागीय स्थिति / विधिक दृष्टि के अनुरूप हैं।

प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त को प्राप्त प्रस्ताव में किसी भी गलती/कमी को लिखा जाएगा तभी फाइल आगे मु.आ. आयुक्त/मु.आ. आयुक्त के पैनल को आगे भेजी जाएगी । यह सारी प्रक्रिया परिशिष्ट 'क' में दी गई समय-सीमा के अनुसार पूरी की जाएगी । इसके लिए, काम में आईटीबीए में सीएसआर प्रोसेस करने में सीआईटी (जे) सहयोग करेंगे ।

- v) उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल करने का उत्तरदायित्व, अधिकार क्षेत्र वाले प्र.मु.आ. आयुक्त/मु.आ. आयुक्त का बना रहेगा । अपील फाइल करने के बाद सीआईटी (जे.) उसकी निगरानी करेंगे । उच्च न्यायालय द्वारा मांगी गई किसी भी सूचना को संबंधित प्र.आ. आयुक्त/आ. आयुक्त उपलब्ध कराएंगे । सीआईटी (जे) उच्च न्यायालय एवं प्र.आ.आयुक्त/आयकर आयुक्त के बीच संपर्क का कार्य करेंगे ।सीआईटी (जे) यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जब केस सुनवाई पर हो, तब न्यायालय में निर्देश लेने के लिए एक कार्मिक वहां उपस्थित हो ।
- vi) सरकारी (स्थाई) वकील एवं अभियोजन वकील को रखने के लिए स्क्रीनिंग सिमिति (छंटनी सिमिति) में क्लेरिकल सहायता सीआईटी (जे) कार्यालय उपलब्ध कराएगा एवं सीआईटी (जे) इस छंटनी सिमिति के अंग होंगे । इन वकीलों के काम का मूल्यांकन प्राथमिक रूप से पीसीआईटी/सीआईटी (जे) का दायित्व होगा, तथापि समीक्षा के इस काम में; पीसीआईटी/सीआईटी को सहयोग करेंगे । वह वकीलों में काम समान रूप से विभाजित रहे, इसके लिए एक रजिस्टर रखेंगे; वकीलों के साथ नियमित रूप से बैठक करेंगे एवं विभाग एवं वकीलों के बीच एक सेतु का काम करेंगे ।
- vii) निर्धारिती/करदाता द्वारा फाइल की गई रिट पिटीसन की सूचना सीआईटी (जे) को पीसीसीआईटी/सीसीआईटी/पीसीआईटी/सीआईटी के माध्यम से दी जाएगी ।
- viii) सीआईटी (जे) अभियोजन मामलों का डेटाबेस परिशिष्ट 'ख' के अनुसार रखेंगे ।
- ix) सीआईटी (जे) क्षेत्रीय तकनीकी सिमिति का अंग होंगे एवं सीआईटी (जेू) का कार्यालय इन आरटीसी को क्लेरिकल सहायता उपलब्ध कराएंगे । वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इन सिमितियों की नियमित बैठक हों एवं इन सिमितियों को वे यथोचित मामले संदर्भ हेतु भेजेंगे ।
- सीआईटी (जे) यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायालय रिजस्ट्री में अपील फाइल होने के बाद उन अपीलों को डायरी व लॉजिंग नंबर सिहत क्षेत्रीय स्केन केन्द्र पर नम्बरों के साथ स्केन किया जाए ।
- xi) वह संबंधित अधिकारियों को जुडिशियल/अपील/अभियोजन से संबंधित रिपोर्टीं को एकत्र व अग्रसारित करने के लिए जिम्मेदार होगा ।
- (घ) कार्यान्वयन अनुसूची

निम्न अपवादों के सिवाय, ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे :-

## दिल्ली व मुम्बई क्षेत्र में :

- (i) कारपोरेट एसेसी/कर दाताओं के अधिकार क्षेत्र वाले पीसीआईटी/सीआईटी वाले मामले ही सीआईटी (जे) को अगली प्रक्रियात्मक कार्रवाई के लिए भेजे जाएंगे । इस क्षेत्र के अन्य चार्ज वाले मामले, सिस्टम में प्रोसेस होंगे जहां सीएसआर, पीसीआईटी/सीआईटी से सीसीआई/पैनल सीसीआईटी को अनुमोदनार्थ भेजे जाएंगे । यह पद्धित कालोपरांत समीक्षा की जाएगी ।
- (ii) पहले साल, आईटीएटी के सारे आदेश; केन्द्रीयकृत रूप से अधिकार क्षेत्र निर्णीत होने तक, सीआईटी (जे) के कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे उसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी । सीआईटी (जे) कार्यालय में प्राप्ति के एक दिन में अधिकार क्षेत्र पीसीआईटी/सीआईटी के आदेश निर्गत (इश्यू) करने का प्रयत्न किया जाएगा ।
- II. जब तक आईटीबीए का काम शुरू होता है, सीआईटी (जे) सीएसआर के प्रोसेस के काम में हाथ बटाएंगे, लेकिन यह उसी चार्ज का काम होगा जिसमें सीआईटी (जे) का कार्यालय स्थित है । उदाहरणार्थ, सीआईटी (जे) अहमदाबाद, आईटीबीए के सक्रिय होने तक, केवल सीसी/डीजीआईटी अहमदाबाद का काम देखेंगे । उसी तरह, आईटीबीए की सक्रियता तक, सीआईटी (जे) बंगलौर, बंगलौर स्थित सीसीआईटी/डीजीआईटी के काम को करेंगे । फिर इसके बाद समस्त क्षेत्र का काम किया जाएगा । यह इस तथ्य को ध्यान में रखकर है कि क्षेत्र (दिल्ली व मुम्बई को छोड़कर) से सीआईटी (जे) के मुख्यालय तक फाइलों को लाने-ले जाने में व्यावहारिक कठिनाई होगी । आईटीबीए सक्रिय होने एवं सीएसआर ऑनलाइन प्रोसेस होने पर यह समस्या नहीं रहेगी ।
- 2. जिन क्षेत्रों में सीआईटी (जे) के पद सृजित नहीं हैं, उन प्र.सीसीआईटी चार्ज में प्र.आ.आ. कार्यालय में अति सीआईटी (तक.) / (समन्वय), सीआईटी (जे) का कार्य करेंगे।
- 3. प्र. सीसीआईटी यह सुनिश्चित करेंगे कि सीसीआईटी (जे) संस्था का उपरोक्तानुसार ढांचे से काम करें । इस काम में आवश्यक संसाधन (मानव व संरचना) उपलब्ध कराए जाएं । सीआईटी (जे) दिए हुए फारमेट (अनुलग्नक ग एवं घ) में डेटाबेस का ब्यौरा रखेंगे ।

भवदीय.

ह./-(प्रियंका सिंह) अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि :-

01 से 08 (अंग्रेजी सूची के अनुसार)

अनुबंध क उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए समय सीमा

		राष्ट्र रामभ रामा			
क्रम सं.	स्तर	दिनों की संख्या	कुल समय		
1.	पीसीआईटी / सीआईटी कार्यालय में अपील आदेश की प्राप्ति	0 दिन	0 दिन		
2.	संगत रजिस्टर में प्रविष्टि और उस समय से मामले के पुराने अपील फोल्डर के साथ लिंक करना जिससे जब आईटीएटी अपील प्राधिकृत की गई थी	1 दिन	1 दिन		
3.	रेंज प्रमुख को प्रति के साथ अपेक्षित कार्रवाई के लिए एओ को आदेश की प्रति भेजना	2 दिन	3 दिन		
4.	एओ द्वारा अपील प्रभाव देने के बाद रेंज प्रमुख को निर्दिष्ट प्राफार्मा में सीएसआर प्रस्तुत करना	30 दिन	33 दिन		
5.	रेंज प्रमुख द्वारा पीसीआईटी/ सीआईटी को सीएसआर प्रस्तुत करना	10 दिन	43 दिन		
6.	वरिष्ठ स्थाई काउंसेल के साथ परामर्श सहित, यदि अपेक्षित हो, पीसीआईटी / सीआईटी द्वारा निर्णय लेना और सीआईटी (जे) को प्रस्तुत करना	15 दिन	58 दिन		
7.	सीआईटी (जे) के कार्यालय में प्रासेसिंग	7 दिन	65 दिन		
8.	सीसीआईटी द्वारा अनुमोदन जहां सीसीआईटी — क्षेत्राधिकार सीसीआईटी (4 दिन) / अन्य सीसीआईटी (3 दिन) का पैनल है	7 दिन	72 दिन		
9.	फाइल को असहमति के मामले में प्रधान सीसीआईटी को प्रस्तुत करना, पीसीसीआईटी का निर्णय	3 दिन	75 दिन		
10.	सीआईटी (जे) को फाइल भेजना, जो मूल अपील फोल्डर के डम्मी फोल्डर को प्रतिधारण करने के बाद प्रधान सीआईटी / सीआईटी को भेजना	3 दिन	78 दिन		
11.	पीसीआईटी/ सीआईटी द्वारा अपील मेमो के प्रारूपण के लिए स्थाई काउंसेल को अपील फोल्डर भेजना	2 दिन	80 दिन		
12.	काउंसेल द्वारा अपील ज्ञापन के प्रारूपण के बाद पीसीआईटी/ सीआईटी को वापस करना	20 दिन	100 दिन		
13.	प्रधान सीआईटी के कार्यालय में अनुबंध के सेट वेटिंग / तैयारी के बाद फाइलिंग हेतु इसे वापस स्थाई काउंसेल को भेजना	15 दिन	115 दिन		

14.	उच्च न्यायालय की रजिस्टरी में वास्तविक रूप से दायर करना	3 दिन	118 दिन
15.	अपील मेमो की प्रति के साथ सीआईटी/ सीआईटी (जे) / उच्च न्यायालय को डायरी/ लोजिंग संख्या को सूचित करना	2 दिन	120 दिन

अनुबंध ख

		_					_	_	
शिकायत	सिविल	नवीनतम	कर	कालम	धारा	न्यायालय	कम्पाउंडिग	कम्पाउंडिग	अव
को दायर	सूची	क्षेत्राधिकार	निर्धारण /	(3) में	जिसके	का नाम	याचिका,	याचिका को	कम्पार
करने की	संख्या/	के साथ	वित्त वर्ष	वर्णित	तहत	जिसमें	यदि कोई	निपटान	फी
तारीख	निपटान	व्यक्ति का		व्यक्ति	शिकायत	शिकायत	हो, की	करने की	
	सूची संख्या	नाम जिसके		का पैन	दर्ज की	दर्ज की गई	तारीख	तारीख	
	के साथ	विरूद्ध			गई	Ì			
	परिवादी	शिकायत							
	अधिकारी	दायर की							
	का नाम	गई							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10
						1	1	1	1

अनुबंध ग

आईटीए	कर निर्धारिती	मूल्यांकन	पैन	धारा	कानून का	कर प्रभाव	बोर्ड/ सीसीआईटी/
संख्या	का नाम	वर्ष			प्रश्न		सीआईटी द्वारा
(आईटीएटी)							स्वीकृति / अस्वीकृति
	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	के कारण
(1)					(6)		(8)

- \* कारणों में अनिवार्यतः निम्न ब्यौरे शामिल होने चाहिएः i. क्या व्याख्या को मेरिट के आधार पर स्वीकृत किया गया है (पीसीआईटी / सीआईटी से सीएसआर फार्म) ii. क्या अपील को कम प्रभाव के कारण दायर नहीं किया गया है।

- iii. क्या मुद्दा प्रकृति में आवर्ती है।
- iv. राजस्व के पक्ष में क्षेत्राधिकार /उच्च न्यायालय /अन्य उच्च न्यायालयों / उच्चतम न्यायालय का निर्णय। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत कानून के प्रश्न केलिए सदृश डाटाबेस का भी रखरखाव किया जाए और इस उद्देश्य के लिए और अनुवर्ती कार्रवाई एवं सीआईटी (जे) के कार्यालय को इस उद्देश्य के लिए पीडीजीआईटी (एल एंड आर) कार्यालय के साथ समन्वय करना चाहिए।

अनुबंध ग1

आईटीए	कर निर्धारिती	मूल्यांकन	पैन	धारा	कानून का	कर प्रभाव	बोर्ड द्वारा स्वीकृति /
संख्या (उच्च	का नाम	वर्ष			प्रश्न		अस्वीकृति के कारण
न्यायालय)							(8)
	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	
(1)					(6)		

- \* कारणों में अनिवार्यतः निम्न ब्यौरे शामिल होने चाहिएः
- i. क्या व्याख्या को मेरिट के आधार पर स्वीकृत किया गया है (पीसीआईटी / सीआईटी से सीएसआर फार्म)
- ii. क्या अपील को कम प्रभाव के कारण दायर नहीं किया गया है।
- iii. क्या मुद्दा प्रकृति में आवर्ती है।
- iv. राजस्व के पक्ष में क्षेत्राधिकार /उच्च न्यायालय /अन्य उच्च न्यायालयों / उच्चतम न्यायालय का निर्णय।